भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3740

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान

3740. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान और इस क्षेत्र की वृद्धि दर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जीडीपी में विनिर्माण के तौर पर हुए परिवर्तनों के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए 'मेक इन इंडिया', उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और अन्य औद्योगिक विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों के अंतर्गत किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो प्राप्त की गई प्रगति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उच्च आदान लागत, अवसंरचनात्मक बाधाओं, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी अपनाने और घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता सहित विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने भारत के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में अपने योगदान में वृद्धि की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, देश के जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान और वृद्धि निम्नानुसार है:

स्थिर मूल्यों पर जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र का वर्ष-वार योगदान (आधार वर्ष 2022-23)

वर्ष	**जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान (% में)**	**वृद्धि दर (% में)**
2022-23	14.65	-
2023-24	15.40	12.7
2024-25 (एफआरई)	15.69	9.3
2025-26 (पीई)	16.10	10.7

एफआरई- प्रथम संशोधित अनुमान; पीई- अनंतिम अनुमान

नोट: राष्ट्रीय लेखे के संशोधित आधार वर्ष (2022-23) के लिए जीवीए के आंकड़े वर्ष 2022-23 से उपलब्ध हैं, जबकि संबंधित वृद्धि दर वर्ष 2023-24 के बाद से उपलब्ध है।

विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में यह वृद्धि देश में विनिर्माण गतिविधियों के स्तर में आए बदलाव के कारण हुई है, जिसे भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न स्कीमों/पहलों से सहायता प्रदान की गई है।

(ग) से (ङ): भारत सरकार ने विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कई उपाय किए हैं। निवेश को सुगम बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर बल देती है।

मेक इन इंडिया पहल के भाग के रूप में, वृद्धिशील उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहन देकर उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों को 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू किया गया है, नामतः व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, एडवास्ड केमेस्ट्री सेल बैटरी, सौर पीवी मॉड्यूल, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, विशिष्ट इस्पात, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक। पीएलआई स्कीमों ने चिह्नित क्षेत्रों में नए निवेश को सुगम बनाया है और विनिर्माण क्षमताओं के विस्तार को सहायता प्रदान की है। मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की है, जिसमें वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत, 30 जून, 2026 तक 5,347 एकड़ क्षेत्रफल के कुल 469 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनमें से, 376 भूखंड (5,047 एकड़) औद्योगिक भूखंड हैं, जिनमें लगभग 2.20 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता है और लगभग 1.29 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है, जैसा कि आवंटन के समय निवेशकों द्वारा घोषित किया गया था।

सरकार निवेशक-अनुकूल नीति के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देती है, जो अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई को अनुमति प्रदान करती है, जो कि एफडीआई अंतर्वाह का 90% से अधिक हिस्सा है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) अनुमोदनों और अनुमतियों के लिए एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रावधान करता है। भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य स्थल के रूप में बनाए रखने के लिए, सरकार हितधारक परामर्श के जरिए एफडीआई नीति की नियमित रूप से समीक्षा करती है और उसे उदार बनाती है। इन सुधारों ने रक्षा, बीमा, दूरसंचार, अंतरिक्ष, फार्मास्यूटिकल्स, खुदरा व्यापार, नागर विमानन, डिजिटल मीडिया, ई-कॉमर्स, कोयला खनन और वित्तीय सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में एफडीआई मानदंडों को सरल बनाया है।

सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न उपाय कर रही है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख स्कीमें सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नवप्रयोग सप्ताह और तेजस (ट्रांस्फार्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक्रास स्टेट्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट्स) के साथ-साथ आवधिक कार्यकलाप और कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती है, जो गैर-महानगर और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम सहित स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, बाजार पहुंच में सुधार और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने हेतु इकोसिस्टम आधारित पहलों को प्रोत्साहन और सहायता भी प्रदान करती है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए विनियामक वातावरण को सरल बनाने और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए व्यवसाय शुरू करने, पूंजी जुटाने तथा अनुपालन बोझ को कम करने सहित विभिन्न उपाय भी किए हैं। मेंटरशिप, अवसंरचना तक पहुंच, संसाधनों और ज्ञान को साझा करने, बाजार लिंकेज में सहायता और इन्वेस्टर कनेक्ट के रूप में, स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने के कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

अन्य मुख्य पहलों में, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मॉनीटरिंग समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए कार्यकलाप, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, माल एवं सेवा कर लागू करना, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) प्रमुख रूप से शामिल हैं।

हाल ही में, सरकार ने 33,660 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से छह वर्ष की अवधि के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्क विकसित करना है ताकि, निवेशकों को आसानी से निवेश करने के लिए सक्षम बनाया जा सके जिससे देश की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। इस स्कीम के तहत, 100 औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।
